**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रकरण**

**संख्या-6/168/63-व0उ0-2015-51(एच)/14**

प्रेषक,

राज बहादुर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सहायक निबन्धक (विधि),
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
मानवाधिकार भवन, ब्लाक-सी,
जी0पी0ओ0 काम्प्लेक्स, आई0एन0ए0,
नई दिल्ली-110023

**हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक 18 फरवरी, 2015**

**विषय**:- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में वाराणसी के बुनकरों के स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में दर्ज शिकायत संख्या-6993/24/72/2014 के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपनी शिकायत संख्या-6993/24/72/2014, दिनांक 01.11.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त पत्र पर निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग से वाराणसी के बुनकरों की आर्थिक स्थिति पर विस्तृत आख्या प्राप्त की गई, जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया है :-

लोहता एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में बुनकरों को कार्यशील पूँजी हेतु अब तक रू0 137.501 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे 439 बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित हुये हैं। इस योजना का उद्देश्य बुनकरों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना है, जिससे वह अपनी आय में वृद्धि कर सकें और अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। लोहता एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2014-15 में लगभग 2000 बुनकरों को स्वास्थ्य कार्ड आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड द्वारा जारी/नवीनीकृत करते हुए स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत बुनकरों को सुविधायें प्रदान की गयी हैं। आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड तथा विभाग के सहयोग से लोहता एवं उससे सम्बद्ध क्षेत्रों-मंगलपुर, कोरौता, धन्नीपुर, अलावल स्थानों पर वर्ष 2014-15 में चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन कराया गया है, जिसका उद्देश्य गरीब बुनकरों को वह समस्त सुविधायें प्रदान करना है, जिससे वह अपनी बीमारियों का इलाज कराकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। उक्त के अतिरिक्त लोहता क्षेत्र एवं सम्बद्ध विभाग की अन्य सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाओं यथा-महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना में अब तक कुल 667 बुनकरों को समूह बीमा से आच्छादित किया गया। पावरलूम समूह बीमा योजना से भी बुनकरों को दुर्घटना/अपंगता/स्वाभाविक मृत्यु की दशा में लाभान्वित किया जा रहा है। समस्त योजनाओं का उद्देश्य बुनकरों में आय का वृद्धि करते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बुनकरों के जीवन यापन की परिस्थितियों में सुधार लाने में स्थानीय जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसे उनके द्वारा अन्य योजनाओं के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। खण्ड विकास अधिकारी, (ब्लाक-काशी विद्यापीठ), वाराणसी द्वारा बुनकर बाहुल्य गाँवों में निम्नलिखित विकास कार्य कराये गये हैं :-

| क्र0 | ग्राम का नाम | विकास कार्यों का विवरण |
|---|---|---|

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | |
|---|---|---|
| 1- | लोहता | 400 स्ट्रीट लाइटें लगायी गई हैं।<br>1000 मीटर खड़न्जा का निर्माण कराया गया है।<br>500 मीटर नाली का निर्माण कराया गया है।<br>304 बुनकरों/व्यक्तियों को समाजवादी पेन्शन योजना का लाभ दिया गया है।<br>3 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया गया है। |
| 2- | हरपालपुर | 4 इन्दिरा आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।<br>11 स्ट्रीट लाइटें लगायी गयी हैं।<br>135 मीटर भूमिगत नाली का निर्माण कराया गया है।<br>755 मीटर खड्न्जा मरम्मत का कार्य तथा 70 खड्न्जा का निर्माण कार्य कराया गया है।<br>120 बुनकरों/व्यक्तियों को समाजवादी पेन्शन योजना का लाभ दिया गया है।<br>2 स्वयं सहायता समूह का गठन कराया गया है। |
| 3- | धन्नीपुर | 385 मीटर भूमिगत नाली का निर्माण कराया गया है।<br>185 मीटर खड्न्जा का निर्माण कार्य कराया गया है।<br>67 बुनकरों/व्यक्तियों को समाजवादी पेन्शन योजना का लाभ दिया गया है। |

3- उक्त से स्पष्ट है कि लोहता क्षेत्र के बुनकरों की आय में वृद्धि के साथ-साथ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता तथा रहन-सहन की परिस्थितियों को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभाग के साथ स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा भी कदम उठाये जा रह हैं।

उपरोक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार बुनकरों के आर्थिक उन्नयन के लिये प्रतिबद्ध है। अतः मा0 आयोग में दर्ज प्रश्नगत शिकायत को निरस्त करने का कष्ट करे।

भवदीय,

राज बहादुर

अनु सचिव।

संख्या-168(1)/63-व0उ0-2015-51(एच)/14, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या-773जी./छः-मा.-1/14-3(196)/14, दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

राज बहादुर

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in